निदेशक जी,

केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार

श्रीमान जी,

निम्नलिखित सूखे पेड आंधी में गिर गए थे। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित पेड़ों को नीलामी कराने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

पेडों का विवरण निम्नलिखित है।

Sr. No.	Tree No.	Species	Girth in Cm
1	215	Eucalyptus	214
2	294	Eucalyptus	128
3	589	Neem	148
4	843	Barh	106
5	834	Shisham	64
6	835	Shisham	61
7	517	Kikar Kabli	79
8	486	Pipal	164
9	388	Mulberry	78
10	83	Mulberry	122
11	467	Neem	81
12	639	Kikar	137
13	640	Kikar	114
14	789	Kikar	118
15	782	Jamun	50
16	794	Jamun	65
17	822	Jamun	69
18	826	Jamun	87
19	827	Papari	55
20	833	Jamun	74
21	852	Bakain	106
22	764	Mulberry	57
23	92	Mulberry	120
24	432	Eucalyptus	216
25	457	Eucalyptus	198
26	292	Jaanti	136
27	693	Kikar	124
28	~~190~~ 195	Kikar	~~135~~ 123

27/12/17
प्रभारी, भू–परिदृश्य

1070
28/12/17

192

List of Dry and fallen trees at CIRB Hisar Ag Farm

All trees with girth measurements made at a height of 137 cm from ground level are numbered as follows:

Sr. No.	Tree No.	Species	Girth in cm	Location
1	6	Eucalyptus	108	1329
2	108	Eucalyptus	186	1372
3	110	Eucalyptus	104	1372
4	143	Eucalyptus	89	1372
5	264	Eucalyptus	128	1400
6	286	Eucalyptus	80	1400
7	288	Eucalyptus	107	1400
8	289	Silver Ook	60	1400
9	349	Eucalyptus	128	1400
10	350	Eucalyptus	101	1400
11	357	Eucalyptus	148	1400
12	378	Eucalyptus	106	1400
13	407	Eucalyptus	108	1400
14	464	Eucalyptus	116	1399
15	472	Eucalyptus	96	1399
16	476	Eucalyptus	132	1399
17	481	Eucalyptus	101	1399
18	533	Kikar	112	1446
19	558	Kikar	111	1445
20	561	Kikar	78	1445
21	579	Faraas	114	1445
22	592	Kikar	90	1474
23	636	Faraas	133	1473
24	673	Shahtut	162	1474
25	674	Faraas	111	1474
26	683	Kikar	121	1474
27	701	Faraas	95	1519
28	757	Kikar	100	1548
29	766	Faraas	104	1519
30	775	Shisham	60	1519
31	892	Kikar	95	1473
32	899	Shisham	99	1473
33	906	Faraas	205	1520
34	923	Shisham	64	1520
35	925	Shisham	173	1520
36	933	Shisham	124	1519
37	977	Kikar	205	1520
38	989	Faraas	98	1472
39	1028	Kikar	161	1520
40	1083	Kikar	112	1471
41	1085	Kikar	191	1471
42	1089	Kikar	89	1471
43	1090	Kikar	87	1471
44	1102	Kikar	87	1471
45	1120	Kikar	108	1472
46	1122	Kikar	104	1472
47	1158	Kikar	107	1448
48	1210	Kikar	126	1447
49	1234	Eucalyptus	78	1329
50	1235	Eucalyptus	97	1329
51	1398	Eucalyptus	109	1329
52	1401	Eucalyptus	132	1329
53	1409	Kabli Kikar	83	1329
54	1410	Kabli Kikar	95	1329
55	1420	Shahtut	83	1329

P. Singh 17/11/17
OIC Agri. Farm
Dr. P.S. Yadav

S. Singh 17.11.2017
I/c Agri
Surender Singh

डायरी नं. ....
Dairy No. 1066
दिनांक/Date 20/11/17
निदेशक निजी अनुभाग
Director Personal Section

डी. ओ. आनु. ...
डायरी नं 2192
दिनांक 21/11/17

Director

AO
9/30/11

Sh. Masid
Bonus
27/11

भा0कृ0अनु0प0–केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान
सिरसा रोड़, हिसार

केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार के प्रांगण में **दिनांक 22/01/2018** को की जाने वाली पेड़ों की नीलामी के लिए नियम व शर्ते:

1. नीलामी जैसे है जंहा है के आधार पर होगी। सुखे व गिरे हुए पेड़ो की संख्या **83** है जिनकी बोली दिनांक **22.01.2018** को **11.00 बजे** होगी।
2. सुखे व गिरे हुए पेड़ो के लिए धरोहर राशि 10,000/– रूपये जमा होने पर ही बोली में भाग लिया जा सकेगा जो असफल बोलीदाता को (उच्चतम को छोड़ कर) नीलामी कार्यवाही पूरी हाने पर वापिस कर दी जायेगी। बिना धरोहर राशि के नीलामी में हिस्सा नही लिया जा सकेगा।
3. अधिकतम बोलीदाता को नीलामी की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करवानी होगी। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त शेष राशि 10 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। यदि इस समय सीमा के अन्दर धन राशि जमा नही कर सके तो 25 प्रतिषत जमा राषि तथा नीलामी के लिए जमा करवाई गई धरोहर राशि सहित जब्त कर ली जायेगी और इन पेड़ों की नीलामी दौबारा की जायेगी तथा बोलीदाता भविष्य में एक साल तक नीलामी के लिए बोली देने का हकदार नही होगा। जब तक पूरी राषि जमा नही होगी पेड़ों को उठाने नही दिया जायेगा।
4. **दिनांक 22/01/2018** की नीलामी का माल 10 दिन के अन्दर अन्दर सफल बोलीदाता को अपने जोखिम और कीमत पर काटकर, लादकर स्वयं के ट्रक/ट्रैक्टर–ट्राली आदि से ले जाना होगा तथा गेट पास से ही बाहर जाने दिया जायेगा। समय सीमा के बाद माल नही ले जाने दिया जायेगा।
5. बोली जिस ठेकेदार क नाम छोड़ी जायेगी, उसी को माल ले जाने दिया जायेगा तथा उसी ठेकेदार के नाम गेट पास जारी होगा, हस्ताक्षर भी उन्हें ही करने होगें।
6. सफल बोलीदाता को सभी संबंधित विभागों जैसे कि वन, रिवन्यू इत्यादि से आवष्यक इजाजत/लाईसैंस अपने खर्च पर स्वयं लेना होगा इसके लिए संस्थान की किसी प्रकार की काई जिम्मेदारी नही होगी।
7. सफल बोलीदाता को मंजूर बोली के अतिरिक्त सभी प्रकार के कर जैसे GST, इन्कम टैक्स व लोकर टैक्स इत्यादि का विभागीय प्रचलित दरों पर संबंधित विभागों को स्वयं अतिरिक्त खर्च पर अदा करना होगा।
8. सफल बोलीदाता केवल अनुच्छेद में चिन्हित वृक्षों को ही उठाएगा/काटेगा, अनुच्छेद में दिये वृक्षों के अतिरिक्त किसी को नुकसान होगा तो यह अनुमति रद्द कर दी जायेगी और आगे वृक्षों को नही काटने दिया जायेगा।
9. कटाई के दौरान साथ वाले वृक्ष, बिजली की तारे व भवन इत्यादि को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान को देनदार ठेकेदार होगा। नुकसान का मूल्यांकन संस्थान की समिति द्वारा किया जायेगा।
10. माल को कार्य दिवस के दौरान सुबह 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक ही बाहर ले जाने की अनुमति होगी।
11. नीलामी किये गये सभी खड़े हुए सूखे पेड़ों को कम से कम 3 फीट गहराई से जड़ों सहित निकालना होगा।
12. पेड़ों की कटाई में लगाये गये श्रमिकों का पूर्ण विवरण नाम, पता तथा कुल संख्या आदि ठेकेदार को लिखित रूप में देनी होगी। कटाई में लगाये गये श्रमिकों के रहने का प्रबंध ठेकेदार को करना होगा। कटाई के दौरान श्रमिकों के साथ किसी भी

प्रकार की दुर्घटना होने पर इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठेकेदार होगा। इस बारे में हर प्रकार के क्लेम , बीमा व ई0एस0आई0 इत्यादि भी ठेकेदार को भरने होगें।

13. इच्छुक ठेकेदार किसी भी कार्य दिवस के दौरान 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक पेड़ों को देख सकते है और इस संदर्भ में प्रभारी कृषि फार्म एवं भू–परिदृश्य अनूभाग से मिलें।
14. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा , हिसार जिला न्यायालय में ही होगा।
15. बोली दाता यदि निलामी में भाग लेता है इसका तात्पर्य होगा कि वह उपरोक्त शर्तों तथा नियमों से सहमत हैं ।
16. बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने के लिए पैन कार्ड की प्रति धरोहर राषि जमा करवाने के आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
17. निदेशक महोदय की स्वीकृति के बाद ही नीलामी पूर्ण मानी जायेगी तथा अंतिम निर्णय निदेशक, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार का ही सर्वमान्य होगा।
18. जिस बोली दाता को उपरोक्त शर्ते मंजूर नही होगी उसकी नीलामी स्वीकार्य नही होगी।